

# Form No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

App.  
Crim.

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

कुलपीप

बनाम

राधीश्याम

किस्म मुकदमा

प्रा. पत्र

नं०

०१

सन्

२०२५

| तारीख हुकम               | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| 30 <sup>04</sup><br>2025 | <p>अप्रार्थी द्वारा जवाब हेतु अक्सर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वस्ते जवाब प्रा.पत्र (0)9(R)4 जा.दी. एवं धारा-15) जा.दी. दिनांक 30/04/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">S.D.O.</p>  |                                       |
| 13 <sup>05</sup><br>2025 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब हेतु अक्सर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वस्ते जवाब प्रा.पत्र (0)9(R)4 जा.दी. एवं धारा-15) जा.दी. दिनांक 13/05/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">S.D.O.</p> <p><del>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब हेतु अक्सर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वस्ते जवाब प्रा.पत्र (0)9(R)4 जा.दी. एवं धारा-15) जा.दी. दिनांक 04/06/2025 को पेश हो।</del></p> <p style="text-align: right;">S.D.O.</p> |                                       |
| 04 <sup>06</sup><br>2025 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब हेतु अक्सर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वस्ते जवाब प्रा.पत्र (0)9(R)4 जा.दी. एवं धारा-15) जा.दी. दिनांक 26/06/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">S.D.O.</p>  |                                       |
| 26 <sup>06</sup><br>2025 | <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगावाई गई। वाक्य प्रार्थी</p> <p style="text-align: right;">S.D.O.</p>  |                                       |

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

जालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

कुलदीप

बनाम

राधीश्याम

कदमा

प्रापत्र

नं०

०१

सन्

२०२५

| हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए |
|--|---------------------------------------|
| <p>व वकील प्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः प्रकरण में प्रार्थी की ओर से पेशी हेतु उपस्थित नहीं होने से प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर अदम बाजिरी अदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज रजिस्ट्र से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी<br/>रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p> |                                       |